प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) ने **'भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण'** की निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 में समाविष्ट प्राधिकार के अनुरूप की है। 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सी.ए.जी. के इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं तथा इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2009 से अक्तूबर 2009 तथा सितम्बर से नवम्बर 2010 के बीच रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड/गार्डन रीच शिपबिल्डर्स् एवं इंजीनियर्स लिमिटेड तथा भारतीय नौसेना के व्यवसायिक निदेशालयों के युद्धपोत पर्यवेक्षक दलों जैसे क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा की गई। इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत 2005-06 से 2009-2010 तक की अवधि सम्मिलित है।